पंचायत आम निर्वाचन, 2021

अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं0नि0 30-209/2021 – 3669

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)।

पटना, दिनांक – 10.09.2021

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन,2021 : प्रपत्र 9 में अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करने तथा सरस्वती प्रेस, कोलकता को उपलब्ध कराने एवं मतपत्रों के मुद्रण हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 1058 दिनांक 26.02.2021 द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 43 एवं 44 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, उन्हें आवंटित निर्वाचन प्रतीकों के साथ, प्रपत्र-9 में तैयार कर निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित कर उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को भेजने के बारे में दिशा-निर्देश दिया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रक्रम के अनुसार प्रथम चरण का प्रपत्र-9 दिनांक 13.09.2021 तक, द्वितीय चरण का 18.09.2021 तक, तृतीय चरण का 27.09.2021 तक, चतुर्थ चरण का 06.10.2021 तक, पंचम चरण का 11.10.2021 तक, षष्टम चरण का 18.10.2021 तक, सप्तम चरण का 30.10.2021 तक, अष्टम चरण का 01.11.2021, नवम चरण का 03.11.2021, दशम् चरण का 08.11.2021 एवं एकादश चरण का 29.11.2021 तक तैयार हो जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम कचहरी के पंच, पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्य के पदों के लिए कराया जा रहा है। **तद्नुसार इन छः पदों, यथा, ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम कचहरी के पंच, पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्य के लिए मतपत्र का मुद्रण अभ्यर्थियों का नाम तथा उन्हें आवंटित निर्वाचन प्रतीकों के साथ किया जायेगा। मतपत्रों के परिकल्प आदि के संबंध में आयोग के ज्ञापांक 3669 दिनांक 10.09.2021 द्वारा पूर्व मे ही सूचना दी जा चुकी है।**

3. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सरस्वती प्रेस, कोलकाता से पंच एवं सरपंच के सभी मतपत्रों का मुद्रण कराने का निर्णय लिया गया है। सरस्वती प्रेस का पूरा पता एवं संबंधित पदाधिकारियों के दूरभाष एवं फैक्स नम्बर निम्न प्रकार हैं :-

कार्यालय – सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी.टी. रोड, कोलकता-700 056
दूरभाष संख्या - 033 - 25647134/25647310
ई-मेल - splbel@saraswatypress.com/biharpanchayat2021@saraswatypress.com/
subodhmajumdar@yahoo.co.in/nrbandas@yahoo.co.in

10.9.2021

पदाधिकारियों का नाम एवं दूरभाष संख्या –

Sl.	Name	Designation	Phone No.	Cell No.
1.	Sri Subodh Majumdar	Managing Director	033-25647134	98310 08686
2.	Sri Pradip Biswas	Production Controller	033-25647134	98316 98198
3.	Sri Anirban Das	Production Manager	033-25647134	93310 83861
4.	Sri Aloy Ghosh	Security Officer	033-25647134	75968 46331
5.	Sri Sanat Sadhukhan	Asst. Manager (per.)	033-25647134	62908 82871

4. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर देने के पश्चात् आपके स्तर से निम्नांकित कार्रवाई अविलम्ब की जानी है –

(क) जिला स्तर से एक जिम्मेवार पदाधिकारी (अपर समाहर्ता स्तर/ अनुमंडल पदाधिकारी स्तर) एवं संबंधित प्रत्येक प्रखंड से एक निर्वाची पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाची पदाधिकारी को आप सरस्वती प्रेस, कोलकाता के लिए प्रतिनियुक्त करेंगे। जिला स्तरीय पदाधिकारी सम्बन्धित प्रखंडों के मतपत्रों के मुद्रण कार्य का प्रेस एवं प्रखंड से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के साथ समन्वय एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

आयोग का निदेश है कि प्रथम चरण के प्रखंडों के अधिकारी दिनांक 15.09.2021 को, द्वितीय चरण के प्रखंडों के अधिकारी दिनांक 20.09.2021 को, तृतीय चरण के प्रखंडों के अधिकारी दिनांक 29.09.2021 को, चतुर्थ चरण के प्रखंडों के अधिकारी दिनांक 08.10.2021 को, पंचम चरण के प्रखंडों के अधिकारी दिनांक 13.10.2021 को, षष्टम के प्रखंडों के अधिकारी दिनांक 20.10.2021 को, सप्तम चरण के प्रखंडों के अधिकारी दिनांक 01.11.2021 को, अष्टम चरण के प्रखंडों के अधिकारी दिनांक 03.11.2021 को, नवम चरण के प्रखंडों के अधिकारी दिनांक 05.11.2021 को, दशम् चरण के प्रखंडों के अधिकारी दिनांक 10.11.2021 तथा एकादश चरण के प्रखंडों के अधिकारी दिनांक 01.12.2021 को अनिवार्य रूप से प्रपत्र-9 के साथ सरस्वती प्रेस, कोलकाता में रिपोर्ट करेंगे।

(ख) जिला स्तर से सरस्वती प्रेस, कोलकाता में प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी प्रखंड के पदाधिकारियों को पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन देते रहेंगे। जिले से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी दो चरणों से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेवार होंगे। इस प्रकार आपको 10 चरणों के मतदान के लिए 4-5 वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करनी पड़ सकती है।

5. (क) अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करते ही उसकी एक प्रति संबंधित प्रखंडों के निर्वाची पदाधिकारी आपको उपलब्ध कराएंगे जिसे आप सरस्वती प्रेस, कोलकाता को उसी दिन अपने स्तर से ई-मेल कर देंगे। दूसरी प्रति लेकर संबंधित प्रखंडों के सहायक निर्वाची पदाधिकारी उसी दिन कोलकाता के लिए रवाना हो जायेंगे एवं दूसरे दिन 10.00 बजे सुबह तक यह सूची सरस्वती प्रेस, कोलकाता को उपलब्ध करायेंगे। प्रूफ बनाने एवं प्रूफ रीडिंग का कार्य उसी दिन से शुरू हो जायेगा।

(ख) (i) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अपने जिले से सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र (ग्राम कचहरी के सरपंच/ पंच), जहाँ मतदान आवश्यक हो, के लिए (सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के लिए) तैयार की गई मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या के आधार पर अलग-अलग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वास्तविक संख्या में मतपत्र की आवश्यकता का आकलन करेंगे। पंच पद के लिए वास्तविक संख्या के साथ 2% अधिक, 10 के अन्तराल में अन्तर हो तो अगले 10 पर मतपत्र की संख्या जोड़कर जो संख्या आयेगी उतनी संख्या में मतपत्र का

मुद्रण सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के लिए कराया जायेगा। सरपंच पद के लिए वास्तविक संख्या के साथ 4% अधिक, 10 के अन्तराल में अन्तर हो तो अगले 10 पर मतपत्र की संख्या जोड़कर जो संख्या आयेगी उतनी ही संख्या में मतपत्र का मुद्रण संबंधित निर्वाचन क्षे6 के लिए कराया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, ग्राम पंचायत घनश्यामपुर के निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-5 के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में यदि मतदाताओं की संख्या 437 है तो इस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निम्न प्रकार से मुद्रण हेतु मतपत्र का आकलन किया जायेगा :-

पंच पद के लिए –

वास्तविक मतपत्र की संख्या	–	437
2% अधिक	–	9
	कुल	446

चूँकि 10 के अन्तराल में अगला प्रक्रम 450 होता है इसलिए ग्राम पंचायत घनश्यामपुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-5 के लिए मुद्रण हेतु वास्तविक मतपत्र की संख्या 446 + 4 = 450 निर्धारित की जायेगी। तदनुसार ग्राम पंचायत घनश्यामपुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-5 के लिए 450 मतपत्र के मुद्रण हेतु सरस्वती प्रेस, कोलकाता से अधियाचना की जायेगी।

सरपंच पद के लिए –

वास्तविक मतपत्र की संख्या	–	437
4% अधिक	–	17
	कुल	454

चूँकि 10 के अन्तराल में अगला प्रक्रम 460 होता है इसलिए ग्राम पंचायत घनश्यामपुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-5 के लिए मुद्रण हेतु वास्तविक मतपत्र की संख्या 454 + 6 = 460 निर्धारित की जायेगी। तदनुसार ग्राम पंचायत घनश्यामपुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-5 के लिए 460 मतपत्र के मुद्रण हेतु सरस्वती प्रेस, कोलकाता से अधियाचना की जायेगी।

इसी प्रकार सभी निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग-अलग मुद्रण हेतु मतपत्र का आकलन किया जायेगा और तदनुसार मतपत्र के मुद्रण हेतु सरस्वती प्रेस, कोलकाता को अधियाचना भेजते हुए जिला के लिए चरणवार मुद्रण हेतु मतपत्र के बारे में एक समेकित प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को दिया जायेगा।

(ii) सरस्वती प्रेस, कोलकाता को व्यादेश (Indent) भेजने हेतु अग्रसारण पत्र एवं प्रपत्र का एक नमूना इसके साथ संलग्न है।

6. पदाधिकारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं विराम भत्ता आपके स्तर से देय होगा।

7. इन पदाधिकारियों को हावड़ा रेलवे स्टेशन तक भेजने की व्यवस्था आपको करनी है। हावड़ा रेलवे स्टेशन से इन्हें सरस्वती प्रेस, कोलकाता पहुँचाने हेतु वाहन की व्यवस्था सरस्वती प्रेस, कोलकाता द्वारा की जायेगी जिसके लिए पदाधिकारियों को नगद भुगतान करना होगा। रेलवे स्टेशन पर इन पदाधिकारियों को रिसीव करने हेतु प्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

8. कोलकाता में पदाधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था का समन्वय प्रेस द्वारा किया जा सकता है, पर इस पर आने वाले व्यय का वहन पदाधिकारियों को स्वयं करना होगा। भोजन आदि पर होने वाला व्यय भी पदाधिकारी खुद वहन करेंगे।

9. प्रेस से पदाधिकारियों को आवास तक पहुँचाने एवं पुनः प्रेस ले जाने हेतु उपयुक्त वाहन की व्यवस्था सरस्वती प्रेस द्वारा की जायेगी। इस पर आने वाले औसतन व्यय का वहन प्रत्येक पदाधिकारी को करना होगा।

10. प्रूफ रीडिंग हेतु प्राधिकृत व्यक्ति को सरस्वती प्रेस, कोलकाता भेजने के पूर्व आपके स्तर से यह बात अच्छी तरह समझा दी जानी चाहिए कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है एवं प्रूफ रीडिंग में उनके स्तर से लापरवाही बरते जाने पर त्रुटिपूर्ण मतपत्र छप जा सकते हैं जिसके चलते निर्वाचन रद्द करने तक की स्थिति आ सकती है। साथ ही सरकारी राशि का अपव्यय भी होगा। **निर्वाची पदाधिकारी की असावधानी के कारण अगर मतपत्रों का दोबारा मुद्रण करने की स्थिति पैदा होगी तो इस पर आने वाले समस्त व्यय की वसूली संबंधित पदाधिकारी से की जायेगी।** अतः संबंधित पदाधिकारियों को चेतावनी दे दी जाये कि प्रूफ रीडिंग का कार्य अत्यन्त सावधानी एवं तल्लीनता से किया जाये।

11. कोलकाता जाने वाले पदाधिकारियों को यह चेतावनी भी दे दी जाये कि वे संयमित और अनुशासित रहकर प्रेस में मतपत्रों के प्रूफ रीडिंग का कार्य सम्पन्न करें। वहाँ कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिये। विभाग एवं आयोग के पदाधिकारी भी बीच-बीच में सरस्वती प्रेस का दौरा करेंगे तथा पदाधिकारियों के व्यवहार पर निगाह रखेंगे।

प्रूफ रीडिंग 01 दिन में पूरा हो जाने के पश्चात् वे पदाधिकारी सरस्वती प्रेस से समन्वय कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इन मतपत्रों का मुद्रण दो दिनों में पूरा हो जाए। जिला स्तर से आप भी सरस्वती प्रेस से लगातार सम्पर्क में रहेंगे एवं जैसे ही आपको सरस्वती प्रेस/जिला स्तर से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा आपके जिले से संबंधित प्रथम चरण के मतपत्रों के मुद्रण का कार्य पूरा होने की सूचना प्राप्त होती है, आप मुद्रित मतपत्रों के परिवहन हेतु पुनः किसी पदाधिकारी को एक साथ सुरक्षा बल एवं वाहन के साथ सरस्वती प्रेस, कोलकता भेजेंगे। प्रखंड से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने प्रखंड से संबंधित मुद्रित मतपत्रों की स्टीचिंग, बन्डलिंग एवं कम्पेरिजन के कार्य का पर्यवेक्षण कर आश्वस्त हो लेंगे कि मतपत्र अनुमोदित प्रूफ के अनुसार मुद्रित किए गये हैं, मतपत्र के प्रतिपर्ण एवं उससे संलग्न मतपत्र पर अंकित किया गया मतपत्र का क्रमांक एक है, मतपत्रों पर नम्बरिंग लगातार है, कोई भी मतपत्र बिना नम्बरिंग के नहीं है एवं किसी भी मतपत्र पर डुप्लीकेट नम्बर दोबारा अंकित नहीं हो गया है। त्रुटि पाए जाने की स्थिति में वे अविलम्ब इस बात को प्रेस की दृष्टि में लाएंगे एवं त्रुटि का निराकरण कराएंगे। तत्पश्चात् मुद्रित मतपत्रों की प्रखंडवार पैकेटिंग कराकर मतपत्रों को आरक्षी बल की अभिरक्षा में लेकर अपने जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो जायेंगे।

13. इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम्, षष्टम्, सप्तम्, अष्टम्, नवम्, दशम् एवं एकादश चरण के मतदान के लिए भी आपके स्तर से आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

14. जिलों से सरस्वती प्रेस, कोलकाता में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले पदाधिकारियों की सूची तथा उनके कोलकाता पहुँचने की तिथि एवं समय की अग्रिम सूचना सरस्वती प्रेस को ई-मेल के माध्यम से दी जाए ताकि प्रेस द्वारा रेलवे स्टेशन से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को प्रेस में पहुँचाने की व्यवस्था की जा सके।

15. आप सहमत होंगे कि मतपत्रों का मुद्रण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है। अतः ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा की जाए कि त्रुटिरहित मुद्रित मतपत्र आपके जिला मुख्यालय में निर्धारित निर्वाचन तिथि के कम-से-कम 5 दिन पहले पहुँच जाएं ताकि जिला स्तर पर विखंडन एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय उपलब्ध रहे।

विश्वासभाजन,

10/11/21

सचिव।

ज्ञापांक – पं0नि0 30-209/2021 – 3669 पटना, दिनांक – 10.09.2021

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – पं0नि0 30-209/2021 – 3669 पटना, दिनांक – 10.09.2021

प्रतिलिपि, प्रबंध निदेशक, मे. सरस्वती प्रेस लि., कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – पं0नि0 30-209/2021 – 3669 पटना, दिनांक – 10.09.2021

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

समाहरणालय

....

(पंचायत शाखा)

पत्र संख्या .... दिनांक ....

प्रेषक,

....

जिला पदाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

....

सेवा में,

श्री सुबोध मजुमदार,

प्रबंध निदेशक,

सरस्वती प्रेस, 11, बी.टी. रोड,

कोलकाता - 700 056.

विषय : .... जिला के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव *ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य/ग्रम कचहरी के सरपंच/ग्राम कचहरी के पंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य – के लिए मतपत्रों की छपाई का व्यादेश (Indent) भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि इस जिला में निम्न प्रकार से प्रथम चरण (मतदान की तिथि) के लिए मतपत्र की आवश्यकता होगी और तद्नुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निम्न निर्धारित संख्या में मतपत्र की छपाई आपके प्रेस द्वारा की जानी है :-

क्रम संख्या	*निर्वाचन क्षेत्र का नाम/संख्या	छपाई किये जाने वाले मतपत्रों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
....		
....		

ऊपर अंकित *निर्वाचन/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रपत्र-9 जिसमें अभ्यर्थियों का नाम, उन्हें आवंटित निर्वाचन प्रतीकों के साथ, अंकित है, की दो प्रतियाँ संलग्न हैं। ज्ञातव्य है कि मतपत्रों में अभ्यर्थियों का नाम उसी क्रम में मुद्रित किया जायेगा जिस क्रम में अभ्यर्थियों का नाम संलग्न सम्बन्धित प्रपत्र-9 में अंकित है।

विश्वासभाजन,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

....

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

BIHAR PANCHAYAT GENERAL ELECTION -2021

PHASE :

NAME OF THE DISTRICT :

NAME OF THE BLOCK :

NAME OF THE POST : **GRAM KACHARI KA SARPANCH (GKS)**

SL NO.	NAME OF GRAM PANCHAYAT	NO. OF CANDIDATE	QUANTITY OF BALLOT TO BE PRINTED	REMARKS

BIHAR PANCHAYAT GENERAL ELECTION -2021

PHASE :

NAME OF THE DISTRICT :

NAME OF THE BLOCK :

NAME OF THE POST : **GRAM KACHARI KA PANCH (GKP)**

NAME OF PANCHAYAT :

SL NO.	WARD NO.	NO. OF CANDIDATE	QUANTITY OF BALLOT TO BE PRINTED	REMARKS